FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	[illegible]

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 136 / 2021 **GCMS No. 2021/161**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनॉक 26.04.2021 को वास्ते सुनवाई / उचित आदेशार्थ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
26/4/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 30/4/2021 को पेश हो	
30/4/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 10/8/2021 को पेश हो	
10/8/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 17/9/2021 को पेश हो	
17/9/2021	पत्रावली पेश हुई [illegible] किया गया जमाबंदी अनुसार [illegible] की कदमी नहीं होने से प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली पत्र कदमी के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] शुमार होकर नियमानुसार बोझा दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested